न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 43/2019

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. जीवनराम पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. रामचन्द्र पुत्र गुमानराम 2. महेन्द्र पुत्र भभूतराम 3. नरेश पुत्र भभूतराम 4. कानी पत्नी भभूतराम 5. सीपु पुत्री भभूतराम 6. पपूदेवी पुत्री भभूतराम 7. साबूदेवी पुत्री भभूतराम जातियान जाट निवासी ग्राम मंगेरिया 8. बुली पुत्री गुमानराम पत्नी दूदाराम (फौत) के कायम मुकाम 8/1 श्रवणराम पुत्र दूदाराम 8/2 पपूदेवी पुत्री दूदाराम 8/3 मुन्नी देवी पुत्री दूदाराम 8/4 मनफुलदेवी पुत्री दूदाराम 8/5 सरोजदेवी पुत्री दूदाराम जातियान जाट निवासी नागड़ी तहसील खींवसर जिला नागौर 9. सीता पुत्री गुमानराम 10. परमा पुत्री गुमानराम जातियान जाट निवासी ग्राम मंगेरिया 11. तहसीलदार भोपालगढ़

<u>राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, रामदयाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10।

–:: निर्णय ::– दिनांक 31/03/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की तरफ से [illegible] धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि प्रार्थी की [illegible] कब्जासुदा कृषि भूमि ग्राम मंगेरिया पटवार हल्का मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व [illegible] खाता संख्या नया 42 व पुराना 32 के अनुसार खसरा नं. 488/1 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं.

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

490/1 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 491/1 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 03 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जावेगा। सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 की मय ट्रेस नक्शा की फोटो प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खरीदसुदा, खातेदारीसुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थी एकमात्र मालिक की हैसियत से काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के पिता/दादा गुमानराम पुत्र भोजाराम से जरिये आममुख्तियार ओमप्रकाश पुत्र मन्छाराम जाति जाट निवासी डेहरू जिला नागौर वाले से खरीद की थी। खरीद करने के पश्चात् प्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1173 दिनांक 20.02.2014 को स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् प्रार्थी अपनी खरीदसुदा, कब्जे काश्त की भूमि पर खातेदार की हैसियत से आज दिन तक काबिज काश्त है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पडौस निम्न है–

उतर– जीवनराम की भूमि है।
दक्षिण– सरकारी भूमि है।
पूर्व– सरकारी भूमि है।
पश्चिम– गुमानराम की भूमि है।

प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पास चिपते ही पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 01 से 10 की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा भूमि आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 से 10 बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू रहते है, इसी नियत से दिनांक 05.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 से 10 वादग्रस्त आराजी पर आये व प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करके प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देंगे व बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा कर लेंगे, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से 10 से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमि है, जिस पर प्रार्थी खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है एवं उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है इसलिए आपको वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 से 10 प्रार्थी से अत्यधिक नाराज हो गये व प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि हम वादग्रस्त आराजी पर जबरन अवैध कब्जा करके बलपूर्वक प्रार्थी को बेदखल कर देंगे जबकि अप्रार्थी संख्या 01 से 10 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, इसलिए न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 01 से 10 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की कब्जासुदा, खातेदारीसुदा भूमि है। अगर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करके प्रार्थी को जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपये पैसों में आंका नही जा सकेगा व प्रार्थी के जायज खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। अतः श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि राजस्व वाद के विचारण के दौरान व अंतिम निर्णय तक प्रार्थी के हक में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावे कि ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की सीमा में स्थित खसरा नं. 489/1 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 490/1 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 491/1 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 03 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि जिसके उतर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

जीवनराम की भूमि है, दक्षिण में सरकारी भूमि है, पूर्व में सरकारी भूमि है व पश्चिम में गुमानराम की भूमि है। उक्त पडौसियान के मध्य स्थित वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थी संख्या 01 से 10 न तो स्वयं दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे। अप्रार्थी संख्या 01 से 10 वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने की कुचेष्टा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। अप्रार्थी संख्या 01 से 10 वादग्रस्त आराजी में अवैध कब्जा करने व प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07, 09, 10 की ओर से श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 08 के फौत होने से प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसका अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश नही कर उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने बाबत् सहमति प्रदान की । अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 08 बुली के कायम मुकाम को रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी वकील द्वारा संशोधित प्रार्थनापत्र शीर्षक पेश किया गया तथा जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 8/1 से 8/5 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 8/1 से 8/5 की ओर से श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 07, 8/1, 09, 10 की ओर से अप्रार्थीगण वकील द्वारा रूपये 200 कॉस्ट पर जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं रूपये 200 कॉस्ट एवं प्रति प्रार्थी वकील को दी गयी। अप्रार्थी संख्या 8/2 से 8/5 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर देने के पश्चात् भी जवाब पेश नही करने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अप्रार्थी संख्या 8/2 से 8/5 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 07, 8/1, 09, 10 की ओर से पेश जवाब प्रार्थनापत्र में बताया गया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि किससे खरीद की हो तथा कब खरीद की हो, जिसका नामान्तरकरण कब स्वीकृत हुआ तथा नामान्तरकरण संख्या क्या है। उक्त भूमि पर काश्त कौन करता है, प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। अप्रार्थीगण अलग–अलग जगह पर निवास करते है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 10 वादग्रस्त भूमि पर एक साथ कभी भी नही आये तथा प्रार्थनापत्र पेश करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 08 फौत हो चुकी थी। फिर भी प्रार्थी ने दिनांक 05.07.2019 को बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 से 10 आये तथा वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तथा जबरन बेदखल करने की धमकी दी जो कि सरासर गलत है। अप्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को खुर्द बुर्द करने की धमकी नही दी थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का आदेश प्रदान करे।

वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस प्रार्थी वकील ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि है, जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 से 10 आए दिन जमीन/धोरे को खुर्द बुर्द करते है, पेड़ काटते है। अतः राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दखलअंदाजी करने से रोका जावे। अप्रार्थीगण वकील ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी को रिलीफ के लिये पत्थरगढ़ी का प्रार्थनापत्र पेश करना चाहिए था। प्रार्थी ने सभी पडौसियों को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को केवल परेशान करने की नीयत से प्रार्थनापत्र व दावा पेश किया है, जो खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाये। वक्त बहस प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

वकील ने प्रति कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के सभी पडौसियों को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण वकील का यह कथन मिथ्या है कि सभी पडौसियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस वकुलाय उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का एकल खातेदार है तथा अप्रार्थी उसके पडौसी खातेदार है। उक्त प्रकरण में अभिलिखित खातेदार के खेत में पडौसी खातेदारों द्वारा दखलअंदाजी करना सही नहीं है। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना हम उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम मंगेरिया पटवार हल्का मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में खाता संख्या नया 42 व पुराना 32 के अनुसार खसरा नं. 488/1 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं. 490/1 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 491/1 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 03 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे, इस बाबत् राजस्व मूल वाद के अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:02 IST
Reason: SelfAttested